कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं.– 7692–299699
ई–मेल–seonimedicalcollege@gmail.com
वेबसाइट– www.gmcseoni.org

क्र. 636 / स्था / जीएमसी / 2025 सिवनी, दिनांक 07-04-2025

"आदेश"

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक / एफ 2 / 1 / 14 / 0013 / 2023 / 55–2 द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी हेतु सीनियर रेसिडेंट के पद स्वीकृत किये गये है। साथ ही म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र से कमांक / 89 / एफ / 2–42 / 2007 / 1 / 55 (पार्ट) भोपाल दिनांक 12.01.2024 के तहत् सीनियर रेसिटेंट के पद एन.एम.सी. मापदण्डानुसार भर्ती नियम जारी किये गये है। उक्त आदेशों के अनुक्रम में संस्था की चयन समिति द्वारा दिनॉक 03 / 04 / 2025 को संस्था स्तर पर सीनियर रेसीडेंट के रिक्त पदों के पूर्ति हेतु आयोजित साक्षात्कार उपरांत सीनियर रेसीडेंट के पद पर चयनित किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित उम्मीदवार को सीनियर रेसीडेंट के पद पर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि (Tenure) के लिये निश्चित मासिक स्टायपेंड रू.– 88,210 / प्रतिमाह (Fixed Pay) पर नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	विभाग	मूल श्रेणी	रिमार्क
1	Dr. Samyak Boudh	सर्जरी विभाग	अनारक्षित जाति	चयनित
2	Dr. Shruti Shandilya	ई.एन.टी. विभाग	अन्य पिछड़ा वर्ग	चयनित

शर्तेः–

1. सीनियर रेसीडेंट की अधिकतम अवधि (Tenure) 3 वर्ष की होगी। इनकी प्रथमतः नियुक्ति 1 वर्ष हेतु की जायेगी, तत्पश्चात् सेवाएं संतोषजनक पाये जाने पर 1–1 वर्ष हेतु समय बढ़ाया जा सकेगा।
2. प्रत्येक 1 वर्ष हेतु अगर किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होती है तो उस स्थिति में रेसीडेंट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा। जिन चिकित्सकों की नियुक्ति इस प्रकार से समाप्त हो जाती है उन्हें दोबारा आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
3. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
4. सम्बंधित व्यक्ति द्वारा सेवा छोड़ने पर एक माह का नोटिस या उसके एवज में उक्त शर्तों के तहत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि न दने की स्थिति में उक्त राशि भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. यदि किसी आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो उस आरक्षित वर्ग के विरूद्ध अनारक्षित या अन्य किसी अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा परन्तु जब भी उस आरक्षित वर्ग (जिसमें सीट आरक्षित है) का अभ्यर्थी उपलब्ध होने की दशा मे चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी एवं जिस वर्ग में सीट आरक्षित है उस पद की पूर्ति उस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से की जावेगी । इस हेतु आरक्षित वर्ग के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व 100 रूपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर वचनपत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
6. इन चिकित्सकों को 1 वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साथ ही उन्हें सप्ताह में 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी। साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा।
7. सीनियर रेसीडेंट की नियुक्ति में आरक्षण का पूर्णरूपेण पालन किया गया है।
8. सीनियर रेसीडेंट को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
9. कार्य ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा, एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के उपरांत 7 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
11. पदभार ग्रहण करने के पूर्व, पूर्व संस्था से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा।

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी

पृ.क्रमांक........ / स्था / जीएमसी / 25 सिवनी दिनांक : / 04 / 2025

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल की ओर ।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर ।
3. विभागाध्यक्ष, सर्जरी / ई.एन.टी. विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी की ओर।
4. स्थानीय लेखा की ओर ।
5. संबंधित चिकित्सक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी